उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर
(कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर)

पत्रांक 383

प्रेषक,

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
सभी निजी विद्यालय
जिला– देवघर।

देवघर, दिनांक 13/04/2020

विषय :– **कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार के कारण अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं का संपूर्ण तालाबन्दी (Lockdown) अवधि का मासिक फीस माफ करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार होने के कारण केन्द्र सरकार के द्वारा 14 अप्रैल 2020 तक सम्पूर्ण तालाबन्दी (Lockdown) किया गया है। जिसके आलोक में सचिव, झारखण्ड अधिविध परिषद, राँची के पत्रांक JAC/SECY/149/2020 दिनांक 31.03.2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के निदेशानुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार के कारण सभी को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड रहा है। देवघर जिला के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं गरीब परिवार से आते हैं। जिनके अभिभावक छोटी– मोटी नौकरी कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं।

अतः आप सभी प्राचार्य/प्राचार्या से अनुरोध है कि इस कठिन परिस्थिति में आपके विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से सम्पूर्ण तालाबन्दी (Lockdown) या विद्यालय बन्द की अवधि का मासिक फीस पूर्णतः माफ कर दिया जाय, विद्यालय बन्द रहने की पूरी अवधि का बस फीस (Transportation Fee) भी छात्र/छात्राओं से नहीं लिया जाय एवं छात्रों के हित में Study Materials Video/PPT के रूप में अभिभावकों/छात्रों का WhatsApp/E-mail/School Website के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

13/4/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
देवघर।

13/4/2020
जिला शिक्षा अधीक्षक,
देवघर।

13.4.2020
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
देवघर।

Scanned with CamScanner